बिल का सारांश

गुवाहाटी महानगर विकास प्राधिकरण (संशोधन) बिल, 2023

- गुवाहाटी महानगर विकास प्राधिकरण (संशोधन) बिल, 2023 को 11 सितंबर, 2023 को असम विधानसभा में पेश किया गया। बिल गुवाहाटी महानगर विकास प्राधिकरण एक्ट, 1985 में संशोधन करता है। एक्ट गुवाहाटी महानगर क्षेत्र के सुनियोजित विकास के लिए एक प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान करता है।
- **अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की पुनर्नियुक्ति**: एक्ट के अनुसार, प्राधिकरण के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति तीन वर्ष की अवधि के लिए की जाती है। वे पुनर्नियुक्ति के पात्र हैं; हालांकि, उन्हें लगातार दो कार्यकाल से अधिक के लिए नियुक्त नहीं किया जा सकता है। बिल कार्यकाल की सीमा को हटाता है।

अस्वीकरणः प्रस्तुत रिपोर्ट आपके समक्ष सूचना प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई है। पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च (पीआरएस) के नाम उल्लेख के साथ इस रिपोर्ट का पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पुनःप्रयोग या पुनर्वितरण किया जा सकता है। रिपोर्ट में प्रस्तुत विचार के लिए अंततः लेखक या लेखिका उत्तरदायी हैं। यद्यपि पीआरएस विश्वसनीय और व्यापक सूचना का प्रयोग करने का हर संभव प्रयास करता है किंतु पीआरएस दावा नहीं करता कि प्रस्तुत रिपोर्ट की सामग्री सही या पूर्ण है। पीआरएस एक स्वतंत्र, अलाभकारी समूह है। रिपोर्ट को इसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्यों अथवा विचारों से निरपेक्ष होकर तैयार किया गया है। यह सारांश मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है।

प्रियदर्शिनी जैन
priyadarshini@prsindia.org

13 सितंबर, 2023